मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 18 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर ए एस)
उनवान

1. श्री राणा ग्रेनाईट जरिये पार्टनर आशीष पुत्र श्री कैलाश चन्द्र जाति अग्रवाल निवासी मंदनगज किशनगढ जिला अजमेर
2. श्री राणा ग्रेनाईट जरिये पार्टनर राजेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर लाल जाति अग्रवाल निवासी मंदनगज किशनगढ जिला अजमेर

--------वादीगण

♠ बनाम ♠

1. शंकर पुत्र कालू
2. नन्दू पुत्री कालू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर राज.

---------- प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– <u>अंतर्गत धारा 53,209 राज.काश्तकारी अधिनियम</u>
मुकदमा नम्बरः– राजस्व वाद 189/2021 (2021/)
निर्णय दिनांकः– 13.12.2021

ग्राम जूनियां की वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण /प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 2 में जिसके वो खातेदार काश्तकार है जिसमे वादीगण का 2/3 एंव प्रतिवादीगण स. 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है। जिसका बंटवारा तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार केकडी राजस्व मण्डल द्वारा प्रेषित प्रपत्र अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करें । इस आशय का प्रारम्भिक डिक्री पर्चा जारी किया गया।
खर्चा फरिकेन अपना –अपना वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी केकडी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर––

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.21 13:11:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 189 / 2021 (2021 /   )

1. श्री राणा मेनाईट जरिये पार्टनर आशीष पुत्र श्री कैलाश चन्द जाति अग्रवाल निवासी मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर
2. श्री राणा मेनाईट जरिये पार्टनर राजेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर लाल जाति अग्रवाल निवासी मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर

——वादीगण

♠ बनाम ♠

1. शंकर पुत्र कालू
2. नन्दू पुत्री कालू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर राज.

———

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक 17.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया ,कि ग्राम जूनियां पटवार हल्का जूनियां तहसील केकडी की जमाबन्दी स. 2073–76 के खाता स. नया–पुराना 1591–1483 [illegible]रा नम्बर 1375 रकबा 0.11 किस्म बारानी 1 तथा खसरा नम्बर 1415 रकबा 0.12 है. किस्म गै.मु. पाल कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 है. प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वा[illegible]ण / प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 2 के पिता श्री कालू पुत्र रामचन्द्र के संयुक्त क[illegible] काश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसमें वादीगण का2/3 हिस्सा , प्रतिवादीगण स. 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है तथा आराजीयात वादीगण / प्रतिवादीगण के अपने– अपने हिस्सेनुसार संयुक्त कब्जे, काश्त , एंव खातेदारी में चली आ रही है। किन्तु उक्त आराजीयात का वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य रिकॉर्ड में विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अब प्रतिवादीगण की नियत खराब है तथा वह वादीगण को उसकी आराजीयात के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है। दिनांक 20. 11.2021 को वादीगण ने प्रतिवादीगा से यह कहा कि काश्त के समय दिक्कत होती है, आराजीयात का बंटवारा कर ले, जिससे कि आगे दिक्कत ना हो तो प्रतिवादीगण ने इस हेतु मना कर दिया तथा कहा कि मै तो कोई बंटवारा नहीं करूगा तुझे करावाना है तो वे उसके खिलाफ दावा कर दे। तथ हम तो हमारी इच्छा होगी वही जमीन लेंगें। वा[illegible]ण दिनांक 20.11.2021 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। क्योकि प्र[illegible]वादी[illegible] द्वारा बंटवारे के अभाव में वादीगण की आराजीयात के कब्जे काश्त [illegible] बाधा [illegible] रही है। अतः वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.21 13:11:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner